

## महाविद्यालय में उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी संकलित जानकारी

क्रम ांक	छात्रवृत्ति का नाम	पात्रता	आय सीमा	विद्यार्थियों को मिलने वाली राशि	संलग्न दस्तावेजों की सूची	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	जारीकर्ता विभाग / ऑनलाईन आवेदन साईट
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	(अनुसूचित जाति वर्ग) हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	विगत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2.50 लाख तक पूर्ण छूट एवं निर्वाह भत्ता</li> <li>2. 2.50 लाख से उपर शिक्षण-शुल्क की प्रतिपूर्ति</li> </ol> <p>(शासकीय संस्था में प्रवेश लेने पर आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है ।</p>	(1) सभी अवापसी योग्य (नान रिफंडेबल) शुल्क (2) छात्रवृत्ति दर गैरछात्रावासी-230	पूर्व कक्षा की टी.सी.,म0प्र0 का मूलनिवासी, आय, जाति प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति, पूर्व वर्ष की अंकसूची ( अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में ),अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं ,आधारकार्ड, छात्रा की बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कापी,समग्र आई डी.	प्राचार्य	आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल <b>MP TAAS PORTAL</b>
2.	(अनुसूचित जन-जाति वर्ग ) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का नाम परिवर्तित होकर " छात्रवृत्ति कक्षा 11 वीं 12 वीं एवं महाविद्यालयीन " रखा गया ।	विगत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2.50 लाख तक पूर्ण छूट एवं निर्वाह भत्ता</li> <li>2. 2.50 लाख से उपर शिक्षण-शुल्क की प्रतिपूर्ति</li> </ol> <p>(शासकीय संस्था में प्रवेश लेने पर आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है ।</p>	(1) 1) सभी अवापसी योग्य (नान रिफंडेबल) शुल्क (2) छात्रवृत्ति दर गैरछात्रावासी-230		प्राचार्य	आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल <b>MP TAAS PORTAL</b>

3.	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	विगत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण	वार्षिक आय 3,00,000/- (तीन लाख) तक	(1) सभी अवापसी योग्य (नान रिफंडेबल) शुल्क गैरछात्रावासी प्रथम वर्ष-110 द्वितीय वर्ष 115	पूर्व कक्षा की टी.सी., म0प्र0 का मूलनिवासी, आय, जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, पूर्व वर्ष की अंकसूची (अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में), अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रशीद, आधारकार्ड, छात्रा की बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कापी, समग्र आई डी	प्राचार्य	आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल <b>MP TAAS PORTAL</b>
4..	अल्पसंख्यक वर्ग हेतु पोस्ट छात्रवृत्ति मैट्रिक	अर्हकारी परीक्षा में 50%	2.00 लाख से अधिक न हो।	शिक्षण शुल्क, वास्तविक अधिकतम 10000/- रू0 प्रतिवर्ष दर छात्रावासी-235, गैर छात्रावासी-140,	आय-प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (शपथ पत्र) म0प्र0 का मूल निवासी पूर्व वर्ष की अंकसूची (अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में), अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रशीद, आधारकार्ड, बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कापी	---	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल <a href="http://www.scholarships.gov.in">www.scholarships.gov.in</a>
5.	मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति	संबल कार्ड धारक	---	शिक्षण-शुल्क में छूट	श्रम विभाग का में माता अथवा पिता का असंगठित कर्मकार का श्रमिक कार्ड, म0प्र0 का मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र, पूर्व वर्ष की अंकसूची, (अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में), अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रशीद, आधार कार्ड	प्राचार्य	संचालक तकनीकी शिक्षा भोपाल <a href="http://scholarshipportal.mp.nic.in">scholarshipportal.mp.nic.in</a>

6.	निशक्त छात्रवृत्ति योजना (राज्य सरकार )	विगत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण	वार्षिक आय 96000 /-	छात्रवृत्ति दर गैर छात्रावासी (सामा./अ.पि.वर्ग हेतु)-250 छात्रावासी दर- 500 गैर छात्रावासी ( अनु. जाति /अनु. जनजाति)-65 छात्रावासी-60	अंकसूची,विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बैंक बचत खाता की फोटो कापी, दो पासपोर्ट साईज फोटो पूर्व वर्ष की अंकसूची, (अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में ), अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रशीद, आधार कार्ड	---	कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय भोपाल संभाग भोपाल <a href="http://www.socialjustice.mp.gov.in/Login/sLogin.aspx">www.socialjustice.mp.gov.in/Login/sLogin.aspx</a>
7.	निशक्त: छात्रवृत्ति (भारत सरकार )	पोस्ट मैट्रिक कोर्स में प्रवेशित निशक्त छात्राएँ	1.80 लाख से अधिक न हो	700 /-प्रतिमाह की दर से (छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ) 400 /-प्रतिमाह ( अन्य के लिए ) पाठ्यक्रम शुल्क अधिकतम 10,000 /- प्रतिवर्ष वापसी योग्य	31 अगस्त प्रति शैक्षणिक सत्र के पूर्व ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन की हार्ड कापी प्राचार्य से अनुमोदित करवाकर भेजे । आधार कार्ड	निशक्तता का प्रमाण पत्र , पूर्व कक्षा मे उत्तीर्ण अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति, आय प्रमाण पत्र,	निशक्तता कार्य विभाग,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार ( <a href="http://www.nhfdc.nic.in">www.nhfdc.nic.in</a> .)
8.	ए.आई.सी.टी.ई की छात्रवृत्ति	प्रगति / संक्षम एवं स्वनाथ छात्रवृत्ति नोट:- केवल प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु	8 लाख रुपये से कम पारिवारिक वार्षिक आय	एक परिवार से दो छात्राओं तक रू0 तीस हजार तक शिक्षण में छूट एवं छात्रावासी छात्राओं हेतु रूपये 2000 /- प्रतिमाह भत्ता 10 माह तक का नोट:-सक्षम छात्रवृत्ति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता को पात्रता	10 वी/ 12 वी की अंक सूची की छायाप्रति , आय प्रमाण पत्र, एडमिशन की कापी, शिक्षण शुल्क की छाया प्रति ,बैंक पास की छायाप्रति , आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र ,प्राचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र	प्राचार्य	ए.आई.सी.टी.ई

9.	मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना छात्रवृत्ति	8 लाख रूपय से कम पारिवारिक वार्षिक आय	पूर्ण शिक्षण शुल्क में छूट	म0प्र0 का मूलनिवासी, आय प्रमाण पत्र, 12 वी (माध्यमिक शिक्षा मंडल ) की 75 प्रतिशत 12 वी ( सी.बी.एस.सी.बोर्ड ) की 85 प्रतिशत शिक्षण शुल्क की छाया प्रति ,बैंक पास की छायाप्रति , आधार कार्ड,	प्राचार्य	संचालक तकनीकी शिक्षा भोपाल scholarshipportal. mp.nic.in
----	-------------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------	---	-----------	---

नोट:-

1. महाविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्रा को उपरोक्त छात्रवृत्तियों की पात्र नहीं होगी ।
2. सभी छात्रवृत्तियों हेतु छात्रा का नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक है ।
3. ऑनलाईन आवेदन किए जाने वाली छात्रवृत्तियों के आवेदन की अंतिम तिथि की सूचना वेबसाईट पर दर्शाई तिथि अनुसार परिवर्तित हो सकती है । अतः अंतिम तिथि हेतु वेबसाईट चैक करें । एवं अन्य छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि प्रवेश प्राप्ति के एक माह के अंदर अथवा 10 दिसम्बर तक जो भी पहले हो ।
4. छात्राएँ केवल एक छात्रवृत्ति हेतु ही आवेदन की पात्र होगी किन्तु क्रमांक 01 से 09 तक की छात्रवृत्तियों के साथ क्रमांक-06 पर उल्लेखित छात्रवृत्ति (राज्य सरकार की निशक्त छात्रवृत्ति योजना )हेतु भी आवेदन किया जा सकेगा ।